

शोर प्रदूषण से कान को बचाएँ



अखिल भारतीय वाक्-श्रवण संस्थान
श्रवण विज्ञान विभाग
मानसगंगोत्री, मैसूर 570 006

शोर नियंत्रणः

शोर को तीन स्तर पर नियंत्रण किया जा सकता है।

जहा शोर उत्पन्न होता है वहां परः

- औद्यौगिक उपकरण का डिजाइन इस तरह किया जा सकता है कि शोर कम हो।
- पटाखों, खिलौने और वीडियो गेम का निर्माण इस तरह से किया जाए है कि शोर उत्पादन संकटमय रूपसे ज्यादा न हो।
- संगीत की आवाज़ कम की जा सकती है।

शोर के माध्यम परः

- कारखानों और कार्यालयों में, दीवार एक खास तरीके से बनायी जाए ताकि वे शोर को सोख ले।
- घरों में कालीन, तकिये, और पर्दे के उपयोग से शोर को अवशोषित किया जा सकता है।
- पेड़ और पौधे भी इस संबंध में उपयोगी हैं।

रिसीवर परः

- व्यक्ति शोर के स्त्रोत से यदि संभव हो तो, दूर जा सकते हैं।
- अन्यथा, वह कान प्लग और कान मफ़, जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें।

क्या मैं अपने सुनवाई की रक्षा कर सकता हुँ ?

रोकथाम के लिए बचाव सबसे अच्छा है। यद्यापि यह संभव नहीं है कि शोर को समाप्त कर सके परंतु इसका प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं।

शोर प्रदूषण से कान को बचाए

शोर क्या है?

शोर प्रदूषण है, यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। शरीरक स्वास्थ्य पर शोर के कुछ कुप्रभाव इस प्रकार हैं :

- कान के महत्वपूर्ण हिस्सों को क्षति ।
- कान में सीटी जैसी आवाज सुनाई देना (टिनैटस)।
- हृदय समस्या ।
- तेजी से श्वास ।
- पेट के अल्पसर ।
- कोलेस्ट्राल में वृद्धि ।
- गर्भस्थ शिशुओं पर कुप्रभाव ।

शोर से झुंझालाहट, एकाग्रता में कमी, जलन, चिडचिडापन, कार्यक्षेत्र में विफलता जैसे कई मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव हैं।

शोर और सुनवाई हानि ।

शोर के लगातार संपर्क में रहना सुनवाई हानि का एक प्रमुख कारण है। सुनवाई हानि लंबे समय तक अत्याधिक शोर में रहने के कारण होती है और धीरे धीरे इसका प्रभाव क्रमिक होता है। कुछ व्यक्तियों में, जब केवल एक ही कान प्रभावित होता है, तब बिना श्रवण परीक्षा के परेशानी का पता नहीं लगाया जा सकता।

लंबे समय तक जोर से संगीत सुनता भी श्रवण दोष का एक कारण हो सकता है जैसे आईपाड़, एमपी 3, आदि का अत्याधिक उपयोग। यदि आप ईयरफोन का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखे की ध्वनि का स्तर कम हो। अगर आपसे तीन फ्रीट दूर व्यक्ति संगीत सुन पा रहा है, इसका मतलब हैं संगीत खतरनाक हैं।

संगीतकार, जो प्रतिदिन कई घंटे संगीत का अभ्यास करते हैं उनको भी श्रवण दोष होने का खतरा है। वे संगीत से कई घंटे संपर्क में रहते हैं और उनमें से बहुत वाद्ययंत्र को कान के समीप रखते हैं। किसी भी अन्य आवाज की तरह संगीत भी एक व्यक्ति की सुनवाई को नुकसान पहुंचा सकती है। संगीत से उच्च आवृत्तियों पर सुनवाई में कमी आ जाती है। कान में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। संगीतकार को अपने कानों की सुरक्षा के लिए श्रवण सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।


इन संकेतों से खबरदार ।

- आप लोगों को जोर से बात करने के लिए बोलते हैं।
- आप किसी को तीन फ्रीट अधिक दूर से नहीं सुन सकते हैं।
- एक शोर भरे स्थान से हटने के पश्चात अपने आस पास की आवाज अस्पष्ट सुनाई देती है।
- शोर से संपर्क के बाद आप को अस्थायी दर्द या कान में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है।
- शोर की उपस्थिति में समझने में मुश्किल होती है।

शोर के आम स्रोत ।

- यातायात का शोर ।
- मशीनरी शोर / कारखाने का सायरन ।
- बदईगीरि और निर्माण ।
- आटा मिलों ।
- जोर से संगीत या रॅक संगीत या स्टीरियों हेड्सेट्स ।
- शादी हाल और पार्टियों ।
- विडियो गेम ।
- कुछ फ़िल्म थिएटर, घर, मनोरंजन केंद्र, कार स्टीरियो सिस्टम, स्वास्थ्य क्लब, क्लब और मनोरंजन केंद्र ।
- मिक्सर / ग्रैंडर ।
- शोर वाले खिलौने ।

कान में ईयर प्लग, ईयर मफ़ का उपयोग करें, यह आस पास की आवाज़ कम कर, श्रवण क्षमता का बचाव करती है।



- * टीवी का ऑडियो और स्टीरियो सिस्टेम की आवाज़ कम रखें।



- * हार्न का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर करें।
- * वशेष रूप से शोर पटाखों को खुले क्षेत्र में जलाएँ।
- * यदि आप लगातार शोर में काम रहे हैं तो सुनने से एक ब्रेक ले ले, और केछ देर के लिए ध्वनि स्नोत से दूर चले जाएँ।

अपने कान की नियमित रूपसे जाँच कराएः



हालाकि सुनवाई हानि रिवर्स नहीं हो सकती परंतु इस समस्या के शीघ्र पहचान और अधिक नुकसान से रोकथाम हो सकती है। अपनी सुनवाई जाच समय पर करवाएँ, खासकर जब आप सुनवाई हानि के लिए जोखिम में हैं।

यदि आप के पास कोई प्रश्न / टिप्पाणियां हैं, या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो हमें संपर्क करें।

हमारा पता:

अखिल भारतीय वाक्-श्रवण संस्थान
श्रवण विज्ञान विभाग
मानसगंगोत्री, मैसूर 570 006

दूरभाष: (0821) 2502000 / 2502100
फैक्स : 0821 – 2510515
वेबसाइट: www.aiishmysore.in

टोल फ्री: 18004255218
ईमेल: director@aiishmysore.in

कार्य समय: प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक
सोमवार से शुक्रवार, केंद्रीय सरकारी छुट्टी दिनों को छोड़कर

अनुवादित द्वारा:

श्रीमती चाँदनी जैन
श्रीमती आर. राजलक्ष्मी